संख्या-18/2026/I/1236391/2026/001-71-2099-112-2023

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में के0जी0एम0यू0, लखनऊ में नवनिर्मित भवन सेन्टर फार आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज भवन में स्थापित होने वाली यूनिटों/विभागों (स्पाईन यूनिट, आर्थोप्लास्टी यूनिट, स्पोर्टस मेडिसिन विभाग एवं पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक विभाग) को जनपयोगी बनाये जाने हेतु मेडिकल गैस पाइप लाइन एवं अन्य कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9487/436/योजना अनु0/2026, दिनांक 20.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, लखनऊ में नवनिर्मित भवन सेन्टर फार आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज भवन में स्थापित होने वाली यूनिटों/विभागों (स्पाईन यूनिट, आर्थोप्लास्टी यूनिट, स्पोर्टस मेडिसिन विभाग एवं पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक विभाग) को जनोपयोगी बनाये जाने हेतु मेडिकल गैस पाइप लाइन एवं अन्य कार्यों हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में के0जी0एम0यू0, लखनऊ में नवनिर्मित भवन सेन्टर फार आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज भवन में स्थापित होने वाली यूनिटों/विभागों (स्पाईन यूनिट, आर्थोप्लास्टी यूनिट, स्पोर्टस मेडिसिन विभाग एवं पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक विभाग) को जनोपयोगी बनाये जाने हेतु मेडिकल गैस पाइप लाइन एवं अन्य कार्यों हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 609.85 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 304.92 लाख (अनुदान संख्या-31 से रुपये 2,40,89,000 एवं अनुदान संख्या-83 से 64,03,000) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 की होगी।
2. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
3. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
6. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।
8. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
9. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
10. प्रायोजना का विस्तृत आगणन (डी0पी0आर0) में कार्यमदें कोटेशन/वर्तमान बाजार भाव की दरों के विश्लेषण के अनुसार ली गयी हैं। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
11. प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्यमदें यथा- Medical Gas Pipe line System, X-Ray view screen, O.T. Control Panel, O.T. Light, Ceiling Panelling, Liquid waster Disposal system Hermetically sealed Door frame, आदि में दरें कोटेशन/बाजार दर पर प्रस्तावित की गयी है, को इन्डीकेटिव दरें मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिडयूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अतः के0जी0एम0यू0 द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाए।

12. प्रायोजनान्तर्गत के0जी0एम0यू0, लखनऊ में नवनिर्मित भवन सेन्टर फार आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज भवन में स्थापित होने वाली यूनिटों/विभागों (स्पाईन यूनिट, आर्थोप्लास्टी यूनिट, स्पोर्टस मेडिसिन विभाग एवं पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक विभाग) को जनपयोगी बनाये जाने हेतु मेडिकल गैस पाइप लाइन एवं अन्य कार्यों यथा- X-Ray view screen, O.T. Control Panel, O.T. Double Arm pandent O.T. Light, Ceiling Panelling, Liquid waster Disposal system Hermetically sealed Door frame, Liquid waster Disposal system Homogeneous Flooring Corridor Area, Anti-Bacterial Paint (O.T. & Corridor) आदि का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, इस हेतु के0जी0एम0यू0 द्वारा एक समिति का गठन किया जाये, जिसमें के0यू0एम0जी0, लखनऊ के प्रस्तावित कार्यो से संबंधित विशेषज्ञ तथा कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो। समिति की देखरेख में ही समस्त कार्य पूर्ण कराये जाये।
13. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
14. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायें, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
15. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 का होगा।
16. प्रायोजना में प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए मानते हुये परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय।
17. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,40,89,000 (रुपये दो करोड़ चालीस लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (2) रुपये 64,03,000 (रुपये चौंसठ लाख तीन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037893100 के0जी0एम0यू0, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-18/2026/I/1236391/2026/001-71-2099-112-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ।
9. वित्त ई-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।